



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2010/माघ 23, 1931

No. 66]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2010/MAGHA 23, 1931

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 75(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "ख" पद) संशोधन भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में सहायक एवं निजी सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 11 एवं 12 के सामने स्तंभ 12 की प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"टिप्पण 3 : नियमित आधार पर पोषक वर्ग के पद का धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा मूल नियम के प्रकाशन की तारीख अर्थात् 14 जनवरी, 2010 को छह वर्ष बनी रहेगी।"

[फा. सं. 1(2)/2009-का. III]

एन. रवि शंकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम सा.का.नि. 32(अ) तारीख 14 जनवरी, 2010 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

556 GI/2010

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2010

G.S.R. 75(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2009, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'B' posts) Recruitment Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2009, against serial numbers 11 and 12 relating to the posts of Assistant and Personal Assistant, in column 12, below the entries, the following note shall respectively be inserted, namely :-

"Note 3 : The eligibility service shall continue to be six years for persons holding the feeder posts on regular basis as on the date of publication of the principal rules, i.e., 14th January, 2010."

[F. No. 1(2)/2009-Pers. III]

N. RAVI SHANKER, Jt. Secy.

Note : Principal Rules were published vide No. G.S.R. 32(E) dated 14th January, 2010.